बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र०/BSP(H)CL–10/2026– /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/– (बीस हजार) रूपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल अनुमानित व्यय की स्वीकृत राशि 1000.00 करोड़ (एक हजार करोड़) रुपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में 3.739 करोड़ (तीन करोड़ तिहत्तर लाख नब्बे हजार) रूपये व्यय करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–5281 दिनांक–22.10.2026 के आलोक में प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/– (बीस हजार) रूपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल अनुमानित व्यय की स्वीकृत राशि 1000.00 करोड़ (एक हजार करोड़) रुपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में 3.739 करोड़ (तीन करोड़ तिहत्तर लाख नब्बे हजार) रूपये व्यय करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष, 2801–विद्युत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, विपत्र कोड–10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
256,96,34,00,000.00	51,60,76,00,000.00	3,73,90,000.00	51,64,49,90,000.00	205,31,84,10,000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान कैनरा बैंक, एग्जिबिशन रोड शाखा, लवकुश टावर, पटना के बचत खाता संख्या–110333129484 एवं IFSC Code-CNRB0002004 में की जायेगी।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–10/2026– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–10/2026– 90 /पटना, दिनांक– 26.10.2026

प्रतिलिपिः–लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.10.26
सरकार के संयुक्त सचिव।